राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, जयपुर

कमांक एफ.वी.9(1)(4)(9)स्था/ब/सं.बल/2019/ दिनांक

नियुक्ति आदेश

राजस्थान अधीनस्थ पशुपालन सेवा नियम 1977 के अनुसार कार्मिक (क–2 नियम) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प.7(2) कार्मिक (क–2) 05 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या प.12(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006, प. 16(2)वित्त/ नियम/98 दिनांक 13.03.2006, प. 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 13.03.2006, प.6(6) वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006, प. 16(5)वित्त/नियम/98 दिनांक 13.03.2006, प.1(2) वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं समय–समय पर हुए विभिन्न संशोधनों के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के नियम 22 की अनुसूची IV, अधिसूचना संख्या एफ.14(1)एफडी (रूल्स) 2013–II, दिनांक 28.08.2013 एवं अधिसूचना संख्या एफ.15(1)एफडी (रूल्स)/2017, दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत पशुधन सहायक के पद पर पे–लेवल 8 में कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी (Probation Trainee) के रूप में रू. 18500/–प्रतिमाह पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) की दर पर नियुक्ति हेतु राजस्थान अधीनस्थ एंव मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के पत्रांक प.14(67)(1)RSMSSB/अर्थना/पशुपा./पशु.सहा./पात्रता–जांच/2018/3377 दिनांक 11.09.2020 के द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र के 03 अभ्यार्थियों का पदस्थापन निम्न शर्तों पर किया जाता है :–

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है।
2. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्यधीन रहेगी।
3. यह नियुक्ति स्वास्थ्य एवं चाल चलन ठीक प्रमाणित होने की शर्त के अध्याधीन की जा रही है। इसके लिए कार्यभार सम्भालने की दिनांक को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् ही कार्य ग्रहण किया जा सकेगा।
4. कार्मिक (A-Gr.II) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना कमांक F-1(5)DOP/A-2/17दिनांक 15.05.2018 के अनुसार अभ्यार्थी को कार्य ग्रहण करने से पूर्व निर्धारित Attestation Form तथा Self Declaration प्रस्तुत करना होगा। अभ्यार्थी के पुलिस विभाग के रिकार्ड के अनुसार चरित्र सत्यापन सही नही होने अथवा Self Declaration में झूठी सूचना दिये जाने की स्थिति में इस अस्थायी नियुक्ति आदेश को तत्काल निरस्त किया जाकर आपराधिक/कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
5. विवाहित अभ्यार्थी को कार्य ग्रहण करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं दिनांक 01.06.2002 एवं इसके पश्चात् 2 से अधिक सन्तान उत्पन्न होने सम्बन्धी रू. 50/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
6. परिवीक्षा काल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नही होगी।
7. उक्त परीविक्षा अवधि में अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि विशेष राजस्थान सेवा नियम में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगें। 2 वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में सन्तोषप्रद सेवापूर्ण करने के उपरान्त इन्हें पशुधन सहायक पद की वेतन श्रृखंला का न्यूनतम एवं अन्य नियमानुसार भत्ते देय होंगें।
8. राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक प.13(1)एफडी/रूल्स/03 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03. 2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगें।

9. सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारियों को यह निर्देश दिये जाते है कि उनके अधीन कार्यग्रहण करने वाले अभ्यार्थियों से राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी 2 नवीन चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगें तथा इनकी शैक्षणिक योग्यता, पशुधन सहायक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि की जाँच उनके मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर भली भांति कर कार्यग्रहण करवायेंगें तथा इनकी सत्यापित प्रतियाँ रिकार्ड में रखेंगें। किसी भी विवाद ग्रस्त स्थिति में प्रकरण निदेशालय को भिजवायेंगें।

10. इन अभ्यार्थियों को आदेश प्रसारित होने की तिथि से 21 दिवस की अवधि में कार्य ग्रहण करना आवश्यक होगा अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझें जावेंगें।

11. चयनित अभ्यार्थियों की वरियता का निर्धारण राजस्थान अधीनस्थ एंव मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी मेरिट के आधार पर ही किया जावेगा।

12. उपरोक्त अभ्यार्थियों का चयन माननीय उच्च न्यायालय के सिविल याचिका संख्या 21276/2019, 15242/2019, 13120/2019, 11785/2019, 9159/2019, 6917/ 2019, 6580/2019, 6505/2019, 5420/2019, 4095/2019, 4076/2019, 4038/ 2019, DBSAW1481/2019, 1829/2020 एवं पशुधन सहायक भर्ती 2018 में माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित अन्य प्रकरणों में पारित अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

S.No.	ROLL NO	NAME	Father Name	Date of Birth	GENDER	Category	Posting Place
1	703732	SITA RAM	KASHI RAM	03/08/85	Male	GEN	उपकेन्द्र 5 जी सहारणावाली, श्रीगंगानगर
2	701276	ANIL KUMAR	INDRAJ	10/12/90	Male	OBC	उपकेन्द्र 4 जैड, श्रीगंगानगर
3	702673	SANDEEP BHARI	MAKHAN SINGH	29/04/92	Male	OBC	उपकेन्द्र मनफूलसिंहवाला, श्रीगंगानगर

(डा. विरेन्द्र सिंह)
निदेशक

कमांक एफ.वी.9(1)(4)(9)स्था/ब/सं.बल/2019/10624-35 दिनांक 09/10/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र, पशुपालन विभाग,बीकानेर।
5. संयुक्त निदेशक,पशुपालन विभाग, श्रीगंगानगर।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिकारी।
7. सम्बन्धित अभ्यार्थी (नाम से)।
8. कम्प्यूटर शाखा, निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर।
9. निजी पंजिका/रक्षित पंजिका।

निदेशक